भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2417

सोमवार, 8 जुलाई, 2019 / 17 आषाढ़, 1941 (शक)

ईएसआई योजना के अंतर्गत नियोक्ता/कर्मचारी

2417. श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईएसआई योजना के तहत लाए जाने वाले लोगों की संख्या और इसका चुनाव करने वाले नियोक्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ता के लिए राज्य बीमा योजना में अंशदान को कम करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(ङ) क्या कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने उक्त प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा ईएसआई योजना के अंतर्गत और अधिक लोगों को लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां। ईएसआई योजना के तहत शामिल किए गए कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओ की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

जारी.....2/-

(ख):	वर्ष	नियोक्ताओ की संख्या (लाख में)	बीमित व्यक्तियों की संख्या (आईपी) (करोड़ में)
	2015-16	7.84	2.14
	2016-17	8.98	3.20
	2017-18	10.34	3.43
	2018-19 (अनंतिम)	12.85	3.60

(ग) से (च): कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान दरों को तर्कसंगत बनाने हेतु प्रस्ताव दिनांक 16.02.2018 को आयोजित 173वीं बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के समक्ष रखा गया था जिसमें इस मुद्दे की जांच करने के लिए नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस समिति ने ईएसआई अंशदान की दर को कम करके 5 प्रतिशत (4 प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान तथा 1 प्रतिशत की दर से कर्मचारी अंशदान) करने की सिफारिश की थी। उप-समिति की रिपोर्ट को दिनांक 18.09.2018 को आयोजित 175वीं बैठक में निगम के समक्ष रखा गया था। निगम ने अध्यक्ष, ईएसआईसी को प्राप्त विभिन्न सुझावों पर विचार करने तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए भी प्राधिकृत किया। तत्पश्चात्, निगम की सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम/श्रम एवं रोजगार मंत्री ने अंशदान की दर को ओर अधिक घटाकर 4 प्रतिशत (3.25 प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान तथा 0.75 प्रतिशत की दर से कर्मचारी अंशदान)करने का निर्णय लिया तथा तदनुसार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। घटी हुई दर 01.07.2019 से प्रभावी है। अंशदान की दर में कमी कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं पर भार को कम करेगी; व्याप्ति के साथ-साथ अनुपालन में सुधार करेगी तथा “व्यवसाय करने में आसानी” में भी योगदान देगी।

(छ): ईएसआईसी 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत, ईएसआई योजना को देश के सभी जिलों में विस्तारित किया जाना है। ईएसआई योजना के छत्र के अंतर्गत और अधिक इकाइयों तथा उनके कर्मचारियों को लाने के लिए आवधिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। ईएसआई योजना के अंतर्गत आदिनांक पूर्णरूप से एवं आंशिक रूप से कार्यान्वित जिलों की संख्या क्रमश: 354 एवं 187 है।

*****